बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

22

संकल्प

सं0 संख्या:– 3/अ0प्र0–01–77/2023 2379 /पटना, दिनांक :– 3.9.24

शीर्ष 3054 एम0आर0 योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, छपरा–2 के अधीन PMGSY Chakhan se Ram Naresh Singh ke Ghar se Madhya Vidhalay Chakhan hote Huye Chakhan Kerwa PMGSY Path Tak का संवेदक द्वारा कार्य समाप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् भी निर्माण कार्य पूरा नहीं करने पर कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, छपरा–2 द्वारा संवेदक के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने के आरोप में कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा मुख्य अभियंता–3 के पत्रांक–2862 दिनांक–08.06.2023 द्वारा विभाग से की गई

2. उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–1497 दिनांक–26.06.2023 द्वारा श्री वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, छपरा–2 से स्पष्टीकरण की माँग की गई ।

3. श्री सिन्हा द्वारा पत्रांक–937 दिनांक–13.07.2023 के माध्यम से समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त पाया गया कि मुख्य अभियंता–3 के अनुशंसा के उपरांत कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक के विरूद्ध द्वितीय एवं तृतीय नोटिस निर्गत किया गया। कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि 04.04.2023 है परन्तु श्री सिन्हा द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने की तिथि तक कार्य समाप्त नहीं हुआ था। अतएव श्री सिन्हा के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त श्री सिन्हा के विरूद्ध गठित आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–293 दिनांक–30.01.2024 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गई। उक्त के प्रसंग में श्री सिन्हा द्वारा पत्रांक 937 दिनांक 13.07.2023 के माध्यम से स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

4. मामले की समीक्षोपरान्त पाया गया कि आलोच्य पथ में कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि 04.04.2023 के लगभग ढ़ाई माह बीत जाने के बाद श्री सिन्हा द्वारा संवेदक को Debar करने की अनुशंसा की गई, जो इनका दायित्व निर्वहन के प्रति लापरवाही का परिचायक है। अतः श्री सिन्हा के बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए उन्हें 'निन्दन' की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल छपरा–2 को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–14 (i) के तहत निन्दन (आरोप वर्ष–2023–24) की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

2/9/24

(डॉ0 फातेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–01–77/2023 /पटना, दिनांक:–

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2/9/24

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—01—77/2023 2379 /पटना, दिनांक:— 3.9.24

प्रतिलिपि:—महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:— 3/अ0प्र0—01—77/2023 2379 /पटना/दिनांक:— 3.9.24

प्रतिलिपि:— अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल छपरा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:— 3/अ0प्र0—01—77/2023 2379 /पटना/दिनांक:— 3.9.24

प्रतिलिपि:— श्री वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल छपरा—2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—01—77/2023 2379 /पटना/दिनांक:— 3.9.24

प्रतिलिपि :— माननीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :—3/अ0प्र0—01—77/2023 2379 /पटना/दिनांक:— 3.9.24

प्रतिलिपि :— आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव